बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–02–93 / 2022 2764 / पटना, दिनांक– 24.5.23

संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 954 अनु0 दिनांक 27.03.2015 द्वारा संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर (निबंधन संख्या–446 / 2009) द्वारा कार्य प्रमंडल, बगहा–02 के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भलाही टोला से भूईधरवा पथ एवं अन्य सात पथों (पैकेज संख्या– बी0आर0–37आर0–067) पथ का कार्य एकरारनामा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण संबंधित एकरारनामा को विखंडित करते हुए इन्हें काली सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी जिसके आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त विभागीय सकारण आदेश संख्याः–05 दिनांक 01.01.2018 द्वारा इन्हें 15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए काली सूची में सम्मिलित किया गया।

संदर्भित मामले में याचिकाकर्त्ता संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर द्वारा विभागीय सकारण आदेश संख्याः–05 दिनांक 01.01.2018 के माध्यम से कार्य प्रमंडल, बगहा–02 के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भलाही टोला से भूईधरवा पथ एवं अन्य साथ पथों (पैकेज संख्या– बी0आर0–37आर0–067) पथ में 15 (पन्द्रह) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने के निमित माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–6333 / 2022, मेसर्स अजय एसोसिएट बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.06.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"We notice that the impugned order is absolutely cryptic and unreasoned, apart from the fact that the authority passing the order had never ever issued any notice to show cause to the petitioner nor was petitioner afforded any opportunity of hearing or put forth his defence. Also, the order does not justify the basis on which the petitioner stands blacklisted for a period of 15 years. Order of black-listing entails civil consequences. Hence, on all counts, the impugned order needs to be quashed.

Accordingly, impugned order dated 01.01.2018 passed by Engineer-in-Chief, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna (Respondent no.5) (Annexure- 23 Page No. 109) is quashed and set aside reserving liberty to the appropriate authority to issue a fresh order, should the need so arise and take appropriate action in accordance with law.

Shri Ashish Giri, learned counsel for the petitioner, clarifies that should the authority take any action, petitioner shall fully cooperate and not seek any unnecessary adjournment.

Still further, it stands clarified that the order shall be passed in full compliance of the principles of natural justice and should the petitioner feel any need to take up the matter any further, it shall be open to do so in accordance with law.

The instant petition stands disposed of in the aforesaid terms.

Interlocutory Application(s), if any, stands disposed of."

इस प्रकार प्रश्नगत वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.06.2022 को पारित न्यायादेश के तहत् विभागीय सकारण आदेश संख्याः–05 दिनांक 01.01.2018 को quashed and set aside करते हुए प्राधिकार को नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गयी है।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्त्ता संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर (निबंधन संख्या–446/2009) द्वारा दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–6333/2022 मेसर्स अजय एसोसिएट बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.06.2022 को पारित न्यायादेश, जिसके तहत विभागीय सकारण आदेश संख्याः–05 दिनांक 01.01.2018 द्वारा 15 (पन्द्रह) वर्षो के लिए डाले गये काली सूची के आदेश को quash and set aside किये जाने की स्थिति में संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर (निबंधन संख्या–446/2009) को काली सूची से मुक्त किया जाता है।

23/5/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–93/2022 2764 /पटना, दिनांक– 24.5.23

प्रतिलिपि– **संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर (निबंधन संख्या–446/2009)** को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–93/2022 2764 /पटना, दिनांक– 24.5.23

प्रतिलिपि–सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–93 / 2022 2764 / पटना, दिनांक– 24.5.23

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–93 / 2022 2764 / पटना, दिनांक– 24.5.23

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख